



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-20062025-264013
CG-WB-E-20062025-264013

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2697]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 20, 2025/ज्येष्ठ 30, 1947

No. 2697]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 20, 2025/JYAIKTHA 30, 1947

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पूर्व रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

कोलकाता, 20 जून, 2025

का.आ. 2763(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राज्य के नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथा-उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में निम्नलिखित परियोजना को अधिसूचित करती है।

सारणी

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
(1)	(2)	(3)
1	सिनी और कांड्रा के बीच तीसरी और चौथी लाइन का कार्य (12.53 किमी.)।	झारखंड

[फा. सं. दपूरे/निर्माण-संगठन/मुख्यालय/डीसीई/सी/टाटा/सिनी-कांड्रा तीसरी और चौथी लाइन /एसआरपी/1]
राजीव श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)/द.पू.रेलवे

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Eastern Railway (Construction Organization)]
NOTIFICATION

Kolkata, the 20th June, 2025

S.O. 2763(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of section 2 of the Railways Act,1989, the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project, as mentioned in column (2) of the Table below in the State mentioned in column (3) of the Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Sl. No.	Name of Projects	State/Union Territory
(1)	(2)	(3)
1	3 rd line & 4 th line work between Sini and Kandra (12.53 Km.)	Jharkhand

[F. No. SER/CON-Orgn./HQ/Land/DCE/C/TATA/SINI-KANDRA 3rd & 4th line/SRP/1]
RAJEEV SHRIVASTAVA, Chief Admin.Officer(Con)/SER